

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1969
दिनांक 02.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति

1969. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2014 से भारत वंशी बच्चों को और अधिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इसका कार्य-निष्पादन/ परिणाम क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) वर्ष 2006-07 से, मंत्रालय अपने 'प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम' (एसपीडीसी) के तहत ईसीआर देशों में भारतीय प्रवासी श्रमिकों के बच्चों सहित भारतीय प्रवासी युवाओं को छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है, ताकि वे भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रम कर सकें और भारत को उच्च अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दे सकें। एसपीडीसी योजना के अंतर्गत व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक विषयों में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 4000 डॉलर तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 से छात्रवृत्तियों की संख्या प्रति शैक्षणिक वर्ष 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है। इस समय मंत्रालय के पास छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) विगत वर्षों में कार्यक्रम के तहत सभी सीटों का पूर्ण उपयोग किया गया है।
